सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-5906/MH/599/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

जिला कलेक्टर,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय,
ओल्ड आगरा रोड,
नाशिक-422002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

विषय: अनावेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका की भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार, रा. नवी बस्ती, कलेक्टर पट्टा मालेगांव, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 04.09.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार,
रा. नवी बस्ती, कलेक्टर पट्टा मालेगांव,
जिला-नाशिक, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-5906/MH/599/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई-I

श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार, रा. नवी बस्ती कलेक्टर पट्टा मालेगांव, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) - अनावेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका की भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक-I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार, निवासी नवी बस्ती, कलेक्टर पट्टा, मालेगांव, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि उमेश सोनवणे एवं शेख अशरफ आसिफ द्वारा आवेदिका की आदिवासी भूमि, सर्वे नं. 57, क्षेत्रफल 5.09 हेक्टेयर, ग्राम माल्हणगांव, तहसील मालेगांव पर फर्जी नोटरी दस्तावेज (क्रमांक 426/2023 दिनांक 25.05.2023) तैयार कर कब्जा करने का प्रयास किया गया है।

आवेदिका का आरोप है कि उक्त दस्तावेज में उनकी अथवा उनके परिवार की कोई सहमति अथवा हस्ताक्षर नहीं हैं। दस्तावेजों की प्रतियां मांगने पर उन्हें गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी गई। आवेदिका ने दोषियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, नाशिक को दिनांक 07.10.2025 को नोटिस जारी किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, नाशिक की ओर से श्री नितिन सदगरि, SDO मालेगांव उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष

AS

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारी द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिनांक 13-06-2026 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है कि आवेदिका श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार एवं उनके परिवार द्वारा ग्राम माल्हणगांव स्थित गट नं. 57, क्षेत्रफल 5.48 हेक्टेयर भूमि के आधे हिस्से (2.74 हेक्टेयर) के विक्रय हेतु दिनांक 25.05.2023 को प्रतिवादियों के पक्ष में ₹31,00,786/- के प्रतिफल पर नोटरीकृत विक्रय करार निष्पादित किया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि के हस्तांतरण हेतु सक्षम राजस्व प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, किन्तु ऐसी अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथा भूमि का विधिसम्मत हस्तांतरण भी संपन्न नहीं हुआ है।

आयोग यह अवलोकन करता है कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अनुपस्थित रही। साथ ही, सुनवाई के समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विवादित भूमि का विधिसम्मत हस्तांतरण अभी तक संपन्न नहीं हुआ है तथा सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण हेतु आवश्यक अनुमति भी प्रदान नहीं की गई है। अभिलेखों के अनुसार भूमि वर्तमान में श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार के स्वामित्व में है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

आयोग अनुशंसा करता है कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए तथा उनसे 30 दिवस के भीतर अपना पक्ष/टिप्पणियां प्रस्तुत करने को कहा जाए। यदि निर्धारित अवधि में याचिकाकर्ता की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रकरण को बंद किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

8

****

फाइल. सं.NCST/DEV-5906/MH/599/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: अनावेदकों द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदिका की भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में श्रीमती मथुराबाई राजाराम पवार, रा. नवी बस्ती, कलेक्टर पट्टा मालेगांव, जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 04.09.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर, जिला-नाशिक,

कलेक्टर कार्यालय, ओल्ड आगरा रोड, नाशिक-422002, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	नितिन सदगीर	S.D.O. मालेगांव जि. नाशिक	9405291529	[signature]
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				